1961

1892 5000Rs.

1. नाम लेखकारिणी: श्रीमती छवि सिन्हा धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार सिन्हा, निवास स्थान मायागंज, थाना कोतवाली पत्रालय बड़ारी, जिला- भागलपुर, भारतीय नागरिक। ---

2. नाम लेखधारिणी: श्रीमती मीरा कुमारी धर्मपत्नी श्री राम बाबू सिंह निवास स्थान श्री कृष्ण नगर थाना मोतीहारी, पत्रालय [illegible] जिला- पूर्वी चम्पारण, भारतीय नागरिक। छवि सिन्हा

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5000Rs.

3. लेख्य प्रकार : निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला बयना कलामी ।----

4. मूल्यांकन : मो0 90,000/= नब्बे हजार रुपया मात्र । ------

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण । : मवाजी ‖ 3.34 कट्ठा ‖ तीन दशमलव तीन चार कट्ठा यानि मवाजी 3 कट्ठा 6 धूर 16 धूरकी एराजी कास्त हीक्यत रैयती कायमी आदी वाके मौजा दानापुर, शाहजादपुर परगना फुलवारी थाना वो तह रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटनाजो अन्दर विकाश प्राधिकार क्षेत्र पटना वाके है। मगर मास्टर प्लान के बाहर है तथा भूमि सरकारी राजस्व अभिलेख में कृषि योग्य दिखलाया गया है । जितमें कृषि कार्य हो रहा है। जिसका तौजी नं0- 5407 ‖ पांच हजार चार सौ सात ‖ थाना नं0-21. ‖ एकहत्त‖ खाता नं0- 454 ‖ चार सौ चौवन‖ तथा खसरा प्लौट नं0- 1556 ‖ एक हजार पांच सौ छप्पन ‖ का अंश जितका लगान तालाना मो0 1.30पैसा आने शेष । जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना ।

Scanned with CamScanner

5000Rs.

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
12 फीट चौड़ा रास्ता बादहूँ प्लौट नम्बर 1564.	पार्ट प्लौट नं0-1556. श्रीमती सोना देवी झरोजा खरीदार ।	पार्ट प्लौट नम्बर 1556 श्री बलजीत पाण्डेय झरोजा खरीदार ।	सर्वे ठकर ।

" तंदर्भ "

हीकयत यह है कि इस बिक्रय- पत्र के खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को लेख्यकारिणी ने अपनी खास स्त्रीधन से बजरिये बीक्रका केवाला बखला कलामी मरकुमा तारीख 18.9.1973 ई0 को नबिस्ते श्रीमती देवरानी देवी सुपुत्री स्वर्गीय तिपाही भगत स्वं धर्मपत्नी श्री पंछी लाल राय निवास स्थान सुगना नया टोला थाना दानापुर, जिला- पटना से क्रय खरीद किये है। जिसका पुस्तक तंख्या-1, जिल्द तंख्या-52 वास्ते 1974ई0 पृष्ठ तंख्या 319 से 324 निबंधन तंख्या-1249. निबंधन कार्यालय पटना सदर पाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर लेख्यकारिणी अपनी क्रय की गई सम्पति मवाजी 10 कट्ठा एराजी पर बहैसियत सम्पति के मूल सवाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर

Scanned with CamScanner

2000Rs.

सम्पत्ति को अपने उपयोग वो उपभोग में लाती रही है। वो लेखयकारिणी का नम्बर तिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत खेवा 895 तन् 1993-94 ई० में दर्ज पाया गया है।

यह कि लेखयकारिणी के उपरोक्त सम्पत्ति के क्रय करने की क्रय में लेखयकारिणी एवं श्रीमती देवरानी देवी के बीच यह शर्त निर्धारित था की यदि उत्तर तरफ के जमीन मालिक यानि तर्वे प्लौट नं0- 1564 के भू-स्वामी अपने जमीन के दक्षिण 08 फीट चौड़ा जमीन रास्ता के लिए छोड़ेंगे तो लेखयकारिणी भी अपने जमीन में से जानिब उत्तर 08 फीट चौड़ा भूमि पूरब से पश्चिम रास्ता के लिए छोड़ेंगे। वो यदि उक्त तर्वे प्लौट नं0-1564 के भू-स्वामी द्वारा रास्ता नहीं छोड़ा गया तो उस वक्त के खरीदार यानि वर्तमान लेखयकारिणी को क्रय की गई भूमि में से जानिब उत्तर 12 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ना होगा अर्थात उक्त क्रय की गई जमीन में से 12 फीट चौड़ा जमीन घट जायेगा। लेखयकारिणी एवं देवरानी देवी के बीच निर्धारित उपरोक्त शर्त की पावन्दी वर्तमान क्रेता पर पूर्व की भाँति होगी।

यह कि लेखयकारिणी उपरोक्त सम्पत्ति को बिक्री तीन भाग में क्रमशः

Scanned with CamScanner

750Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

मीरा कुमारी एवं रंणजीत पाण्डेय एवं सोना देवी के साथ अलग- अलग वशिका बय द्वारा कर रहीहै। कुल जमीन मवाजी 10 कट्ठा में से जानिब उत्तर तरफ की रास्ता के एराजी को घटा कर शेष जो भी एराजी बटेगा उस एराजी पर उपरोक्त वर्णित तीनों खरीदार का बराबर बराबर हक वो अधिकार होगा।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमंद सम्पति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता हैऔर जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नही करते है तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल है।

अतएवं लेख्यकारी ने वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्वस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 मे वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित तूल्य मूल्य मो0 90,000/= नब्बे हजार रूपया मात्र में लेख्यधारिणी खाने नं0-2 के बेचा वो बयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

मूल्य के कुल रुपयों को लेखयकारी ने इस पत्रिका पर हस्ताक्षर करने के पूर्व से.

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेखयकारी या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेगा वे सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदारपक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहेतियत सम्पत्ति के मूल सत्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखयकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय- पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे । उस वक्त लेखयकारी पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखयकारी या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्पत एराजी मजकुर करे सम्पत्ति मजकुर के करें तो, उनकी उजरदारी या दावा बमोकाबले बतीका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेखयकारी (बिक्रेता) ने लेखयधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता

Scanned with CamScanner

प्रकट किये है और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेखकारी ने खाने न0-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये है वो नहीं लिखें है। वो आगे खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाय या लेखकारी या उनके उतराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारी सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारी को हो तो ऐसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारीगण अपने क्षतिग्रस्त बेकदर बदखली पाओ जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिलहाल मो0 ।/= एक रुपया माहवारी के हिसाब से लेखकारी या उतराधिकारी के अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेंगें । उस वक्त लेखकारी पक्ष को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह बंधिका निर्विवाद विक्रय- पत्र यानि केवाला बखला खुशी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । ।समाप्त ।

टंकक

। दिनेश कुमार सिन्हा ।
सिविल कोर्ट दानापुर, पटना ।

Scanned with CamScanner

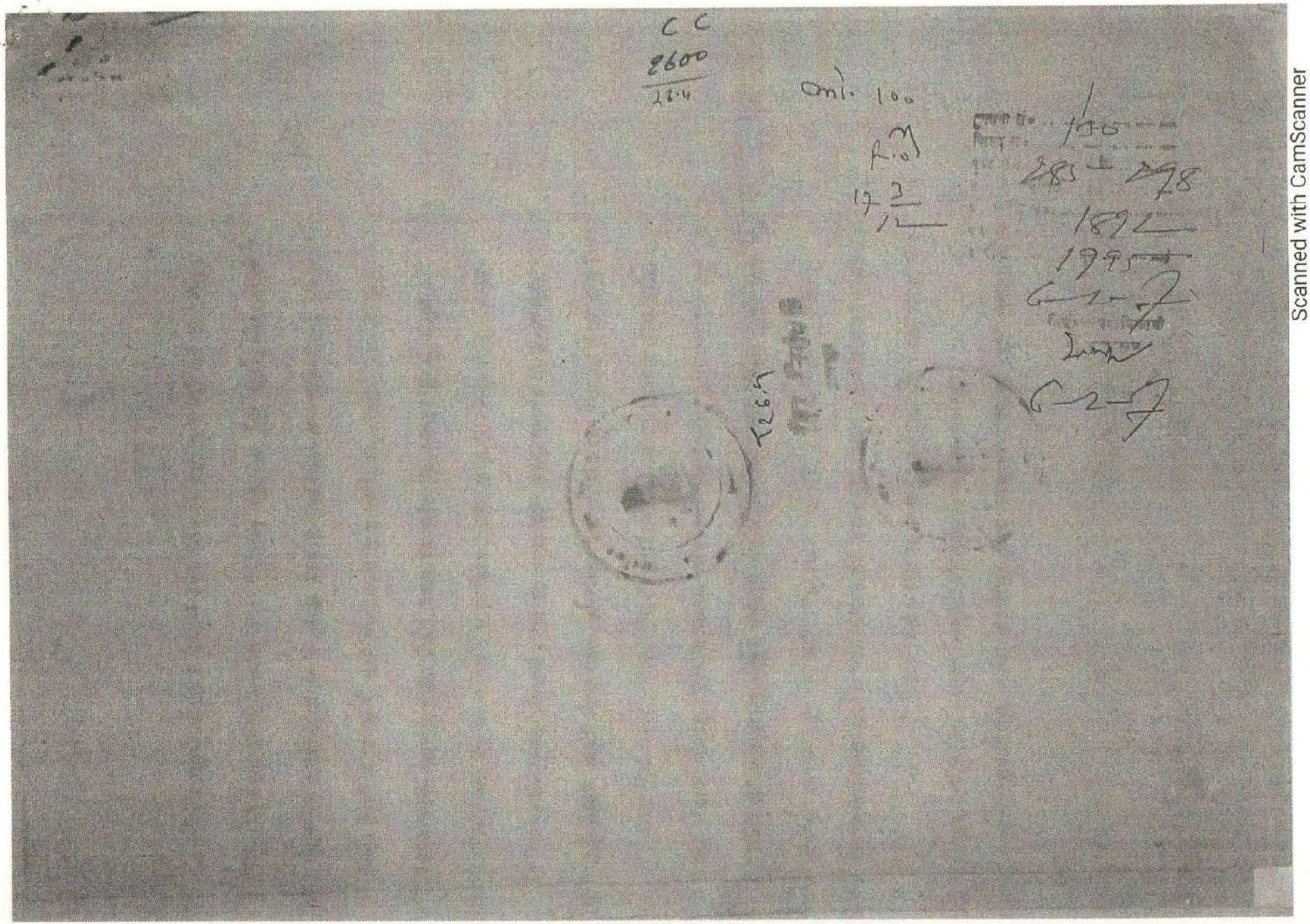

Scanned with CamScanner

Serial No.- 3394 Deed No.- 2720

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

Token:- 3464/12

बिहार BIHAR H 268395

बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर

दिनांक 23/03/2012 को Ranjeet Pandey द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 213600/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 107645/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है। इसे दस्तावेज सं० 2720 के रूप में पुस्तक सं० 1 की जिल्द सं० 47 के पृष्ट सं० 63 से 72 तक CD 8 में आज निबंधित एवं कुल 10 पृष्ठों में संधारित किया गया।

ह०

(Dhananjay Kumar Rao)

निबंधन पदाधिकारी

Date : 23/03/2012 Token No.- 3464 / Year 2012

1- लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री रंजीत पाण्डेय पिता का नाम स्वर्गीय भारती पाण्डेय, निवास स्थान- महथदा, थाना- पीपरा कोठी, जिला- पूर्वी चम्पारण, भारतीय नागरिक।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

बैंक ... स्थान

को ... पहुँचा

हस्ताक्षर.....

Scanned with CamScanner

Serial No : 3394 Deed No : 2720
Token No : 3464 of 2012

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Donee	Meera Kumari @ Meera Singh					
Presented by Self	Ranjeet Pandey					
Donor	Ranjeet Pandey					
Identifier	Uma Shankar Prasad Singh					

Meera Kumari alias Meera Singh
23.3.2012
Signature of Party

Ranjeet Pandey
23/3/12
Signature of Party

Signature of Party

Uma Shankar Prasad Singh
23/03/2012
Signature of Party

Scanned with CamScanner

2670000/1000

AAPPS9426D

अंदर मो0---------- शब्दों में (रू0----------) मात्र

(4)

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्त्ता हेतु)

बिहार सरकार

निबंधन विभाग गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम /पता- श्रीमती मीरा कुमारी उर्फ मीरा सिंह
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) स्था० वो थाना कोटवा जिला पूर्वी चम्पारण

2. दस्तावेज का प्रकार---------- बैंक

3. निबंधन कार्यालय---------- दानापुर

4. बैंक का नाम एवं शाखा---------- S.B.I Danapur

5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	~~212600~~ 211600	211600
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	106800 45	106845
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598	500 50	550

Ch-No 000195 Q-384

Ch-No 001978 Q-386

Ch-00157

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट कुल योग 318995

कुल राशि शब्दों में ----------

स्थान- दानापुर

तारीख- 21, 3, 12

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

मो० वसु आलम

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं0 ---------- तारीख ---------- उपर्युक्त कालम

संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू0 ----------/ शब्दों में----------

रूपये प्राप्त किया

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

250

319245

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का विवरण

एस्को लेखा सं0 : A/c No. 30978446198

जमा करने की तिथि :

बैंक स्क्रॉल सं0: ----------

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2)X रू0 ...

SBI DANAPUR Br.- (01254)
AVINAV KUMAR SINHA
बैंक की प्राप्ति एवं मुहर
21/3/12

Ch - 157, 195, 197

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

बिहार BIHAR

H 268396

23017 21/3/12

– 2 –

2– लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पताः–

श्रीमती मीरा कुमारी उर्फ मीरा सिंह, पति का नाम श्री राम बाबु सिंह, निवास स्थान वो पत्रालय वो थाना– कोटवा, जिला– पूर्वी चम्पारण, भारतीय नागरिक।

3– लेख्य प्रकारः–

वख्शीशनामा यानि दानपत्र।

(DEED OF GIFT)

Scanned with CamScanner

4– मूल्यांकनः–

मो0:– 26,70,000/– रूपया (छब्बीस लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र।

5– सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरणः–

मवाजी 3 कट्ठा 6 धुर 12 धुरकी (तीन कट्ठा छः धुर बारह धुरकी) एराजी परती आवासीय हकियत कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा– दानापुर शहजादपुर (बैंक कॉलोनी), परगना– फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, जिसकी तौजी नं0– 5407, थाना संख्या– 21 (इक्कीस), खाता संख्या– 454 (चार सौ चौवन), सर्वे खेसरा प्लॉट संख्या– 1556 (एक हजार पॉच सौ छप्पन) में एराजी 3 कट्ठा 6 धुर 12 धुरकी।

" चौहदी "

उत्तर : बारह फीट का रास्ता।

दक्षिण : अमरेन्द्र नारायण शर्मा।

पुरब : पार्ट प्लॉट नं0– 1556

पश्चिम : लेख्यधारिणी एवं सोना देवी।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

सही रंजीत पाठ्य
ता 23/3/012

उमा शंकर प्रसाद सिंह
पिता स्व0 ~~सच्चिदेव सिंह~~
302, मौर्या विहार, मौर्य पथ,
खाजपुरा, बैकी शेड, पटना-800074
दिनांक 23/03/2012

Scanned with CamScanner

भूमि का वार्षिक लगान मो0:— 2/— रूपया अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) वाके है। जमाबन्दी नं0— 4667 वर्ष 2010—2011 ई0 है।

" संदर्भ "

विदित हो कि खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी की बैय खरीदगी सम्पत्ति है जिसे लेख्यकारी ने दिनांक— 27/04/1995 ई0 को नविस्ते श्रीमती छवि सिन्हा पति का नमा श्री सुशील कुमार सिन्हा, साकिन— मायागंज, थाना— कोतवाली, पत्रालय— बरारी, जिला— भागलपुर, से बैय खरीद किया है। जिसका बुक नं0— 01, जिल्द नं0— 131, पेज नं0— 53 से 72 वसीका नं0— 1929 सन् 1995 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। बैय खरीदगी के रोज से ही लेख्यकारी खाना नं0 5 मे वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के साथ काबिज दखिल वो अधिकृत होकर वो रहकर उपभोक्ता स्वरूप हर तरह से उपभोग करते चले आ रहे है वो है। और बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में लेख्यकारी अपने नाम से जमाबन्दी नं0— 4667 पर नाम दर्ज कराकर साल दर साल मालगुजारी की रसीद कटाते चले आ रहे हैं। खाना नं0 5 हर तरह के झगड़ा झंझट से शुद्ध पवित्र वो ऋणमुक्त है।

Scanned with CamScanner

यह कि लेख्यधारिणी, लेख्यकारी के अपने सगे साला के पत्नी है। लेख्यधारिणी को लेख्यकारी बहुत प्यार मोहब्बत करते है एवं लेख्यधारिणी के साथ लेख्यकारी का बहुत ही अटुट प्रेम है वो अटुट रिस्ता चला आ रहा है लेख्यधारिणी लेख्यकारी के साथ रहते चले आ रहे है इसलिए लेख्यधारिणी एवं लेख्यकारी के बीच आत्मयिक सम्बन्ध है। लेख्यकारी लेख्यधारिणी के प्रेम के चलते हमेश प्रसन्नचीत रहा करते है और लेख्यधारिणी का भविष्य हमेशा उज्जवल रहे लेख्यकारी की ऐसी कामना रहती है। और बख्शीशनामा में खर्च को लेख्यकारी स्वयं वहन कर रहे है। लेख्यकारी के साथ लेख्यधारिणी रहते है इसलिए इनकी दिली ख्वाहिश हुई कि अपने जीवन काल में ही खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति का पूर्ण मालिक मुस्तकील अधिकारी लेख्यधारिणी को बना दूँ। इसलिए लेख्यकारी कानुनी मशविरा लिया वो अपने शुभचिन्तको से भी सलाह मशविरा किये वो इस निष्कर्ष पर पहुचे कि बख्शीशनामा (दानपत्र) द्वारा लेख्यधारिणी को मालिक अधिकारी वो दखलकार बना दुँ। यह कि जीवन और मौत को कोई नही जानता इस नश्वर शरीर से प्राण पखेरू कब निकल जायें इसलिए लेख्यकारी ने लेख्यधारिणी को बख्शीश देना उचित वो मुनासीब समझा। इस तरह से लेख्यकारी इस प्रस्ताव को (बख्शीश देना) लेख्यधारिणी के समक्ष रखा जिसे बख्शीश लेना लेख्यधारिणी सहर्ष स्वीकार किया। इस तरह से खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति पर आज के रोज से लेख्यकारी अपना कुल

Scanned with CamScanner

कब्जा दखल वो अधिकार लेख्यधारिणी को दिया कि लेख्यधारिणी खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के साथ ~~काबिज दखिल~~ वो अधिकृत होकर हर तरह से उपभोग करे और खाना नं0 5 पर जो भी लेख्यकारी का हक अधिकार वो स्वामित्व प्राप्त है या भविष्य में होता कुल हक अधिकार वो स्वामित्व इस दानपत्र के माध्यम से लेख्यधारिणी को प्राप्त हुआ। खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारी का किसी भी तरह का हक अधिकार वो स्वामित्व नहीं रहा। लेख्यधारिणी जैसे चाहे खाना नं0 5 पर अपने उपयोग वो उपभोग में लावे एवं जहाँ–जहाँ जरूरी समझे सक्षम कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा लेवे वो बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में भी लेख्यधारिणी अपना नाम दर्ज करा लेवेगी। इसमें लेख्यकारी को किसी भी तरह का उजुर एतराज नहीं है ना ही भविष्य में वारिसान उत्तराधिकारी या संगे सम्बधियों को ही होगा।

यह कि लेख्यकारी लेख्यधारिणी को बहुत लार दुलार मोहब्बत करते है। इसलिए लेख्यधारिणी प्यार मोहब्बत के चलते खाना नं0 4 में दर्ज मूल्यांकन के लेख्यकारी माफ कर दिये है।

यह कि इस वशिका बख्शीश (दानपत्र) निष्पादन के बाद यदि लेख्यकारी खाना नं0 5 में वर्णित सम्पत्ति पर हकियत संबंधी किसी भी तरह का दावा दावी रखते है या पेश करते है तो वह गैर कानुनी वो गलत होगा वो अदालत में बातिल समझा जावेगा वो अमान्य होगा।

Scanned with CamScanner

अतएव लेख्यकारी अपनी इच्छा वो मन की स्वत्वता से शुद्ध चीत होकर राजी खुशी से होश हवाश में रहते हुए अपनी हानि वो लाभ को बखुबी सोंच विचारकर स्वस्थ्य मानसिक अवस्था में बिना किसी डराव वो धमकाव के यह बख्शीशनामा का लेख्यपत्र लेख्यधारिणी के नाम से लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाण रहे।

दिनांक–

mira kumari alis
mira Singh

प्रारूपकर्ता

अवर निबंधन कार्यालय
बानापुर

Scanned with CamScanner

अनुमान के आधार पर नजरी नक्शा

नाम बिक्रेता– श्री रंजीत पाण्डेय पिता का नाम स्वर्गीय भारती पाण्डेय, निवास स्थान– महथदा, थाना– पीपरा कोठी, जिला– पूर्वी चम्पारण

नाम क्रेता – श्रीमती मीरा कुमारी उर्फ मीरा सिंह, पति का नाम श्री राम बाबु सिंह, निवास स्थान वो पत्रालय वो थाना– कोटवा, जिला– पूर्वी चम्पारण

मौजा– [illegible] , थाना– [illegible] , तौजी नं0– 5407, थाना नं0– 21 , खाता नं0– 454 प्लॉट नं0– 1556 एराजी [illegible]

यह कि नजरिया नक्शा पक्षकारो द्वारा दिया जा रहा है जो लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि नजरिया नक्शा में प्रश्नगत भूखण्ड ..50.. मी0 त्रिज्या के अन्दर भूमि की विशेषताए एवं अन्य विशेषतायो को दर्शाया गया है।

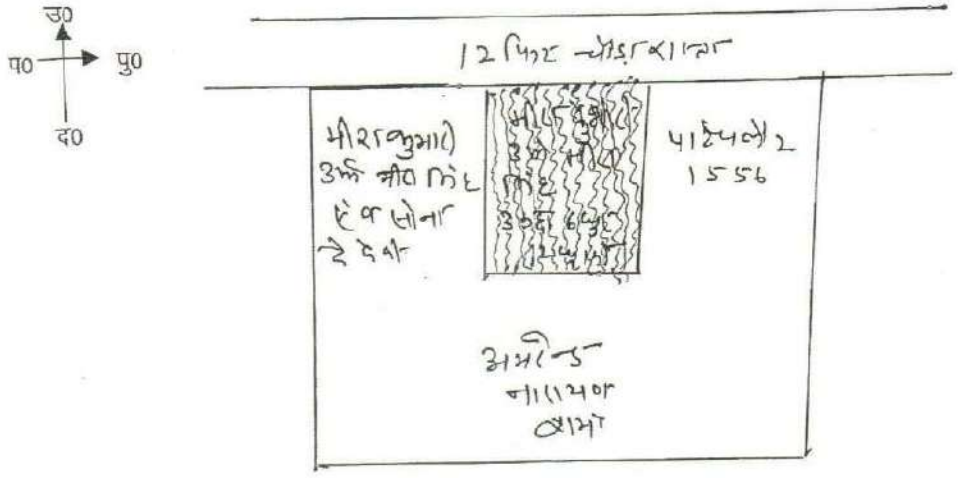

बिक्रेता का हस्ताक्षर
रंजीत पाण्डेय
R23/3/092

क्रेता का हस्ताक्षर
Mira Kumari / Alias Mira Singh

अवर निबंधन कार्यालय दोनापुर

Scanned with CamScanner

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 33. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 160200
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs. 53400
(Paid Rs. 2000/- *by N.J. Stamp Paper and* Rs. 319245/- *through Bank Challan.)*

FEE PAID									
	A1	106800	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	Scan

0	LLR
0	Proc. Fee
0	
45	
250	

500 Total Fee
50 107645

Registering Officer
Danapur

Date : 23/03/2012

Endorsement under section 52

Presented for registration at **Registry Office, Danapur** *11:16 AM on* **Friday,** *23rd* **March** *2012 at the* **Sub** *by* **Ranjeet Pandey** *(Donor)* **Late Bharti Pandey**

by profession **Others.**

Signature of Presentant

Date : 23/03/2012

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Uma Shankar Prasad Singh age .... Sex M son/daughter of Late Chandradeo Singh resident of 302,Maurya Vihar,Maurya Path,Khajpura,Patna.

Registering Officer
Danapur

Date : 23/03/2012

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 10 pages, in the volume CD-8 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 23/03/2012

Token No. 3464 Year - 2012 Sl.No. 4394 SCORE Ver. 2.0 Deed No. 2720 NIC-Bihar

SCANNED

Checked By

Scanned with CamScanner

1891 5000Rs.

1. नाम लेखयकारिणी: श्रीमती छवि सिन्हा धर्मपत्नी श्री तुषील कुमार सिन्हा, निवास स्थान मायागंज, थाना कोत्वाली, पत्रालय बड़ारी, जिला- भागलपुर, भारतीय नागरिक। ------

2. नाम लेखयधारिणी: श्रीमती तोना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय गोपाल सिंह निवास स्थान कोटवां थाना कोटवा जिला- पुर्वी चम्पारण, भारतीय नागरिक। ---

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

5000Rs.

: 2 :

3· नाम लेख्य प्रकार : निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला ब्यता कलामी।---

4· मूल्यांकन : मो0 90;000/= नब्बे हजार रुपया मात्र । -----

5· सम्पत्ति का सम्पूर्ण: विवरण । मवाजी ½ 3·33 कट्ठा ½ तीन दशमलव तीन तीन कट्ठा यानि मवाजी ½ 3 कट्ठा 6 धूर 12 धूरकी ½ तीन कट्ठा छव धूर बारह धूरकी एराजी कास्त हौकियत रैयती कायमी नग्दी वाके मौजा दानापुर, शहजादपुर, परगना फुलवारी, थाना वो तब रजिस्ट्री दानापुर, तदर रजिस्ट्री वो जिला पटना, जो अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना वाके है। मगर मास्टर प्लान के बाहर है तथा भूमि सरकारी राजस्व अभिलेख में कृषि योग्य दिखलाया गया है । जिसमें कृषि कार्य होरहा है जिसकी तौजी नम्बर-5407½ पाँच हजार चौ सात½ थाना नं0-21· ½ एकइस½ खाता नं0-454½चार सौ चौवन½ तर्वे खतरा प्लौट नं0-1556 ½ एक हजार पाँच सौ छप्पन½ का अंश जिसका लगान सालाना मो0 1·30 पैसा अलावे शेष जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर, पटना ।

Scanned with CamScanner

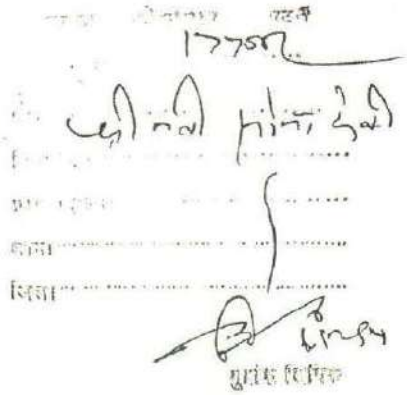

Scanned with CamScanner

5000Rs.

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
पार्ट प्लौट नं0-1556. श्रीमती मीरा कुमारी झरोजा खरीदार ।	सर्वे प्लौट नं0-1565.	पार्ट प्लौट नं0-1556 श्री रणजीत पाण्डेय झरोजा खरीदार ।	सर्वे झार ।

" तंदर्भ "

---0---

हौकयत यह है कि इस बिक्रय- पत्र के खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को लेख्यकारिणी ने अपनी खात स्त्रीधन से वजरिये पोश्का केवाला बयलाकलामी मरकुमा तारीख 18-9-1973 ई0 को नपिस्ते श्रीमती देवरानी देवी सुपुत्री स्वर्गीय सिपाही भगत एवं धर्मपत्नी श्री पंछी लाल राय, निवास स्थान सगुना नया टोला थाना दानापुर, जिला- पटना से बय खरीद किये है। जिसका पुस्तक संख्या-1, जिल्द सं052 वास्ते 1974 ई0 पृष्ठ संख्या-319 से 324 निबंधन संख्या-1249। निबंधन कार्यालय पटना सदर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर लेख्यकारिणी अपनी क्रय की गई सम्पति मवाजो 10 कट्ठा एराजी पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पति को अपने उपयोग वो उपभोग में लाती रही है वो लेख्यकारिणी का नम्बर सिरिस्ता बिहार सरकार

Scanned with CamScanner

2000Rs.

के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रेयत संख्या-895तन् 1993-94 ई० में दर्ज पाया गया है।

यह कि लेखयकारिणी के उपरोक्त सम्पति के क्रय करने की क्रम में लेखयकारिणी एवं श्रीमती देवरानी देवी के बीच यह शर्त निर्धारित था की यदि उत्तर तरफ के जमीन मालिक यानि सर्वे प्लौट नं0-1564 के भू-स्वामी अपने जमीन के दक्षिण 08 फीट चौड़ा जमीन रास्ता के लिए छोड़ेंगे तो लेखयकारिणी भी अपने जमीन में से जानिब उत्तर08 फीट चौड़ा भूमि पूरब से पश्चिम रास्ता के लिए छोड़ेंगे। वो यदि उक्त सर्वे प्लौट नं0-1564 के भू-स्वामी द्वारा रास्ता नही छोड़ा गया तो उक्तवक्त के खरीदार यानि वर्तमान लेखयकारिणी को क्रय की गई भूमि में से जानिब उत्तर 12 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ना होगा अर्थात उक्त क्रय की गई जमीन में से 12 फीट चौड़ा जमीन घट जायेगा। लेखयकारिणी एवं देवरानी देवी के बीच निर्धारित उपरोक्त शर्त की पावन्दी वर्तमान क्रेता पर पूर्व की भाँति होगी।

यह कि लेखयकारिणी उपरोक्त सम्पति की बिक्री तीन भाग में क्रमशः मीरा कुमारी एवं रणजीत पाण्डेय एवं सोना देवी के साथ अलग- अलग वीथिका द्वारा कर रही है। कुल जमीन मवाजी 10 कट्ठा में से जानिब उत्तर तरफ की रास्त

Scanned with CamScanner

750 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु.

Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

रास्ता के एराजी को घटा कर शेष जो भी एराजी बटेगा उस एराजी पर उपरोक्त वर्णित तीनों खरीदार का बराबर बराबर हक वो अधिकार होगा ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमंद सम्पति के लिये रुपयों की अत्यन्त आवश्यका है और जब तक खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नही करते हैतब तक रुपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्राय: मुश्किल हैं ।

अतएवं लेख्यकारी ने वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्वस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित तुल्य मूल्य मो0 90,000/= नब्बे हजार रुपया मात्र में लेख्यधारी खाने नं0-2 के बेचा वो वयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रुपयों को लेख्यकारी ने लेख्यधारी से इस तौर से वसुल पाया कि - कुल रुपया हस्ताक्षर के पूर्व ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा वसूल पाया

छवि सिन्हा

Scanned with CamScanner

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेखयकारी या उनके उतराधिकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहेगा ये सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल के कुल स्वर्यों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उतराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर बहैतियत सम्पति के मूल सवाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखयकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमींदारी विभाग में इस विक्रय- पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे । उस वक्त लेखयकारी पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेखयकारी या उनके उतराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा ।उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर जरे तम्मन मजकुर के करें तो, उनकी उजूरदारी या दावा बमोकावले वंशिका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में काननी कारवाई करने योग्य नही होगा ।

लेखबकारिणी (विक्रेता) ने लेखधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्ण मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेखयकारी ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नही किये है । वो नही लिखें है । वो और खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी

Scanned with CamScanner

खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाय या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति बेकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिसद मो0 1/= एक रुपया माहवारी के हिसाब से लेख्यकारी या उत्तराधिकारीगणके अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेगें । उस वक्त लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न क भी होगा।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवाला बयला कलामी लिख दिया के समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें । ‖समाप्त‖

टंकक

दिनेश कुमार सिन्हा

‖ दिनेश कुमार सिन्हा ‖

सिविल कोर्ट दानापुर, पटना ।

लेखक उदय कुमार सिन्हा निवास स्थान रामजय पाल नगर दानापुर थाना दानापुर जिला पटना बराबर मौजिक लिखा वो पढ़कर सुना सुनाना दिया है बकद सतुह में कोई बात छूटा से लिखा हो तो तथा बाद इस खुलासा कर बखूबी अलग से लिखा जाय हो शो सनी दस्तखत है

Scanned with CamScanner